

## राजस्थान-सरकार

## निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / ए-53 / 2019 /

दिनांक:-

## आदेश

श्रीमती अंजू गौड़, नर्स-2 अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर को सत्र 2018-19 में दो वर्षीय एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण करने हेतु चयन प्रधानाचार्य, माई खदीजा इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जोधपुर आवंटित किया गया है, में उपस्थिति दिनांक 31.01.2019 तक प्रस्तुत करनी है।

श्रीमती अंजू गौड़, नर्स-2 को निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रशिक्षण के लिये नियत उपस्थिति दिनांक से पूर्व कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1- नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
- 2- यदि कार्मिका ने पूर्व में अध्ययन अवकाश का उपभोग किया है तो इन्हे अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
- 3- उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- 4- प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिका तुरन्त विभाग में अपनी उपस्थिति देगी अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 5- कार्मिका प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगी।
- 6- राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- 7- नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / ए-53 / 2019 / 125

दिनांक:- 29-1-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
2. अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य नर्सिंग कॉलेज।
4. सम्बन्धित कार्मिका द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर